



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

पत्र क्र. /विपणन/ भो.दु.सं/26

दिनांक

साँची के साथ जुड़े – बने अधिकृत वितरक

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित (साँची डेयरी) द्वारा आपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत विभिन्न प्रमुख शहरों एवं कस्बों में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरण कार्य हेतु योग्य, उत्साही एवं आर्थिक रूप से समक्ष व्यक्तियों/फर्मों से अधिकृत वितरक नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

साँची मध्यप्रदेश का विश्वसनीय एवं लोकप्रिय दुग्ध ब्राण्ड के साथ लाभकारी व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक उत्कृष्ट अवसर है।

उपलब्ध स्थान एवं विस्तृत जानकारी

वितरक नियुक्ति हेतु उपलब्ध स्थानों, पात्रता, मापदण्डों, आवश्यक अधोसंरचना, सुरक्षा निधि, नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी www.sanchidairy.com पर उपलब्ध है।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक आवेदक संघ कार्यालय में रु 500/- (अप्रतिदेय शुल्क) जमा कर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक परीक्षण एवं औपचारिकताएँ पूर्ण कर यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ करने की सुविधा है।

विशेष सूचना

✓ सीमित अवसर उपलब्ध ✓ शीघ्र कार्यारंभ की सुविधा ✓ प्रतिष्ठित साँची ब्रांड के साथ व्यवसायिक साझेदारी

महत्वपूर्ण

वितरक नियुक्ति एवं कार्य आवंटन “ प्रथम आओ” – “प्रथम पाओ” के आधार पर किया जाएगा।

संपर्क करें

अधिक जानकारी हेतु वेबसाइट का अवलोकन करें अथवा संपर्क करें। ☎ 7999246481

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

साँची के साथ जुड़े – बने अधिकृत वितरक

उपलब्ध स्थान :-

क्र.	क्षेत्र का नाम	जिले का नाम
1	दीवानगंज	विदिशा
2	सलामतपुर	
3	बालमपुर	
4	उदयपुर	
5	पठारी	
6	हैदरगढ़	
7	गुलाबगंज	
8	देहगाँव	रायसेन
9	गड़ी	
10	गैरतगंज	
11	डोबी	
12	खरगोन	
13	देवरी	
14	साँईखेड़ा	नरसिंहपुर
15	नजीराबाद	भोपाल
16	रतुआ रतनपुर	
17	परवलिया	
18	खजुरीकलॉ	
19	फंदा	
20	पचोर	राजगढ़
21	खिलचीपुर	गुना
22	रूठियाई	
23	पिपलखेड़ी	
24	ओबेदुल्लागंज	सीहोर
25	बिलकिसगंज	
26	मुरवास	विदिशा
27	सिराली	हरदा
28	छिंदगाँव	
29	चारुआ	
30	शोभापुर	नर्मदापुरम



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

आवेदन प्रक्रिया :-

1. सर्वप्रथम वितरक बनने के लिए इच्छुक एवं सक्षम व्यक्ति को दुग्ध संघ कार्यालय के विपणन शाखा से आवेदन प्राप्त करना होगा। जिसका मूल्य रु 500/- निर्धारित है। यह राशि वित्त शाखा में आवेदक द्वारा नगद जमा की जायेगी।
2. प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर आवेदन के सही एवं उपयुक्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने के संबंध में पत्र विपणन शाखा द्वारा जारी किया जाएगा।
3. आवेदन की स्वीकृति उपरांत संबंधित व्यक्ति/पार्टी से औपचारिकताओं अंतर्गत अग्रानुसार आवश्यक अर्हताओं को शामिल किया जाएगा :- आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, एफ.एस.एस. ए.आई., लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र/आवेदन पत्र।
4. किसी संस्था से ब्लैकलिस्टेड ना होने तथा न्यायालय में प्रकरण लंबित ना होने संबंधी शपथ पत्र (रु 200/- के स्टाम्प पर) प्रस्तुत करना होगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संघ कार्यालय के विपणन शाखा से प्राप्त करें।)
5. रु 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध पत्र का प्रारूप संघ कार्यालय के विपणन शाखा से प्राप्त करें।)
6. प्रतिभूति के रूप में रु 50,000/- का आरटीजीएस/एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट जो कि पेयबल एट भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के नाम से देय होगा जमा करना अनवार्य होगा।
7. समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त दस्तावेजों का परीक्षण संघ कार्यालय की विपणन शाखा से किया जाकर समस्त दस्तावेज सही पाए जाने पर संबंधित को कार्यादेश जारी किया जाएगा।
8. वितरक द्वारा अग्रिम भुगतान के आधार पर ही दूध, दुग्ध उत्पाद एवं घी की प्रदायगी की जाएगी।

नोट:- अधिक जानकारी के लिये भोपाल दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय में संपर्क करें।